

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—माध्य/गुण. तथा प्रशि. अनु./दक्षता आधारित आकलन/61186/2024—25/पार्ट—1 दिनांक : As in E-Sign

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा।

- विषय :-** दक्षता आधारित आकलन प्रथम के उपरांत आकलन रिपोर्ट कार्ड शालादर्पण पोर्टल से डाउनलोड कर मेगा पीटीएम में प्रदर्शित किये जाने संबंध में।
- संदर्भ :-** इस कार्यालय का समसंख्यक परिपत्र दिनांक : 29.07.2025 एवं पत्र दिनांक : 27.10.2025

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र एवं पत्र की निरंतरता में लेख है कि दिनांक : 27.11.2025 से 29.11.2025 तक कक्षा 3 से 8 हेतु आयोजित दक्षता आधारित आकलन प्रथम के रिपोर्ट कार्ड दिनांक : 18.12.2025 से शालादर्पण पोर्टल से डाउनलोड किये जा सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा समस्त विद्यार्थियों के उक्त रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर संधारित किये जाने है।

आगामी मेगा पीटीएम दिनांक : 23.12.2025 के दौरान संबंधित अभिभावकों के साथ रिपोर्ट कार्ड साझा करते हुए उन्हें विद्यार्थी की प्रगति से अवगत करवाये एवं निर्धारित स्थान पर रिपोर्ट कार्ड में अभिभावकों के हस्ताक्षर करवाये।

उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार के जिला, ब्लॉक, पीईईओ/यूसीईईओ तथा विद्यालयस्तर तक, उक्तानुसार वांछित दिशा—निर्देश जारी करते हुए, प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन

अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर। (जरिये ई—मेल)
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर। (जरिये ई—मेल)
3. निजी सचिव/निजी सहायक/स्टाफ ऑफिसर, निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। (जरिये ई—मेल)
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाये जाने बाबत। (जरिये ई—मेल)
5. तकनीकी निदेशक, NIC, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर। (जरिये ई—मेल)
6. उपनिदेशक, शालादर्पण, जयपुर। (जरिये ई—मेल)

7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन बाबत। (जरिये ई-मेल)
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–**माध्यमिक/प्रारम्भिक** को पालनार्थ। (जरिये ई-मेल)
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को पालनार्थ। (जरिये ई-मेल)
10. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
11. समस्त संस्था-प्रधान।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)